संख्या-2/2015/2346/38-3-2014-80/2014

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2015

विषय:- विकास भवन फिरोजाबाद की छत के अनुरक्षण तथा टायलेट एवं वाटर सप्लाई कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-464/बजट/2014-15, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 तथा पत्र संख्या-516/बजट/2014-15 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भगत पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में विकास भवन फिरोजाबाद की छत का अनुरक्षण कार्य तथा विकास भवन के टायलेट एवं वाटर सप्लाई कार्य कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कराये जाने हेतु क्रमश: धनराशि रू0 11.39 लाख तथा 2.88 लाख कुल धनराशि रू0 14,27,000/- (रू0 चौदह लाख सत्ताइस हजार मात्र) जो आपके निवर्तन पर उपलब्ध है, को व्यय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत कार्य 31 मार्च, 2015 से पूर्व पूर्ण करा लिया जायेगा तथा धनराशि का समायोजन 31 मार्च, 2015 तक सुनिश्चित किया जाये।

(2) धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 में प्राविधानित व्यवस्था तथा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(3) वित्त विभाग एवं शासन द्वारा निर्माण कार्यों हेत निर्गत विभिन्न शासनादेशों तथा बजटीय नियमों का सम्यक पालन किया जायेगा और धनराशि का आहरण निर्धारित कार्यों के लक्ष्यानुसार प्रगति के अनुसार किया जाय। तकनीकी अनुश्रवण/सत्यापन आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर गठित तकनीकी आडिट सेल द्वारा किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है, तो राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनतर्गत अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई, 2014 तथा शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( डा0 हरिश्चन्द्र )
विशेष कार्याधिकारी।

**संख्या-**2/2015**/2346/38-3-2014, तदद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
3. जिला विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।